न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— आशाराम डूडी आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या (17 / 2014) 223 आरटीएक्ट

अमीचन्द पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर हाल सनसिटी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध प्राथमिक डक्री दिनांक 15.05.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 71 / 09 बअनवानी हनुमानसिंह बनाम अमीचंद आदि

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

(2) अपील संख्या 2013 / 00170 (83 / 2013) 223 आरटीएक्ट

अमीचन्द पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर हाल सनसिटी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2013 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी प्र. सं. 71 / 09 बअनवानी हनुमानसिंह बनाम अमीचंद आदि

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः–06.01.2020

1. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्षएक दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटीएक्ट का पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम से संयुक्त खाता में चक 6 एसएसडब्ल्यू खाता सं0 138/126 प. नं. 161/287 मु. नं. 64 किला नं. 13, 15, 17, 18 कुल 1.012 है0 तथा चक नं. 4 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 79/77 प. नं. 166/291 मु. नं. 23 किला नं. 3, 4, 6, 7, 8, 12 ता 19, 22, 23, 24, ,25 कुल 4.301 है0 दोनों चकों की 5.313 है0 भूमि मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का निस्फ हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का निस्फ हिस्सा बताया। वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य घरू बंटवारा होना बताया, जिसमें वे वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार भूमि पर काबिज हैं। वादी/रेस्पो0 सं0 1 ने मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त मुताबिक दफा–2 अर्जीदावा वादी का खाता तकसीम कर अलग से कायम करने और इसी अनुसार रकम राज भी अलग कायम करने एवं प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा।

2. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा पेश कियाकि रेस्पो0 सं0 1 ने घराघरू बटवारानामा हुआ था जिसमें वर्णित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियॉ थी। अपीलाण्ट व रेस्पो0 नं. 1 के परिवार के सभी परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होना बताया। जिसमें अपीलाण्ट ने अपने हिस्से में चक 6 एसएसडब्ल्यू प. नं. 161/287 मु. नं. 64 किला नं. 14, 17 व चक 4 एसएसडब्ल्यू प. नं. 166/291 मु. नं. 23 किला नं. 3/.025 है0, 4/.253 है0, 6, 7/506 है0, 8/.025 है0, 13/.025 है0, 14/.253 है0, 15 ता 17/.759 है0, 18/.025 है0, 23/.025 है0, 24/.253 है0, कुल 2.908 है0 भूमि प्राप्त होना बताया एवं इसी प्रकार रेस्पो0 सं0 1 को चक 6 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 161/287 मु0 नं0 64 के किला नं. 13, 18 चक 4 एसएसडब्ल्यू प. नं. 166/291 मु. नं. 23 किला नं. 3/.228 है0 8/.228 है0, 12/.253 है0, 13/. 228 है0, 18/.228 है0, 19/.253 है0, 22/.253 है0, 23/.228 है0 कुल 2. 405 है0 भूमि प्राप्त होना बताया और इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करने का कथन किया व अपीलाण्ट के परिवार की अन्य भूमि में से 1 बीघा भूमि कम प्राप्त हुई जिसक बदले रेस्पो0 नं0 1 को चक 4 एसएसडब्ल्यू प0 नं0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

166 / 291 मु0 नं0 23 किला नं. 3,8, 13, 18, 23 प्रत्येक में 0.025 है0 भूमि पूर्वी दिशा में देने पर सहमति होनी बताई। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 नं0 1 की साक्ष्य ली जिसमें रेस्पो0 नं0 1 ने बंटवारानामा में अपीलाण्ट का चक 4 एसएसडब्ल्यू व6 एसएसडब्ल्यू में कुल 2.409 है0 भूमि मिली है जिस पर कब्जा काश्त अपीलाण्ट का है रेस्पो0 नं0 1 ने अपने बयान में यह भी कथन कि अपीलाण्ट को अन्य चकों में भूमि कम मिली होने के कारण उक्त दोनो चकों में भूमि ज्यादा दी है।

3. विचारण न्यायालय ने दिनांक 1505.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित की एवं विभाजन प्रास्ताव आने पर रेस्पो0 नं0 आपत्ति प्रस्तुत की एवं रेस्पो0 नं0 आपत्ति जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायलाय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर दिनांक 19.03.2013 को वाद वादी डिक्री किया। उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने उक्त दो अपीलें प्रस्तुत की है। दोनों अपीलें एक ही प्रकरण, एक समान पक्षकार होने एवं एक ही भूमि से सबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जाता रहा है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत बिना प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये व विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण काबिल खारिजी है। रेस्पो0 नं0 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय में चक 4 एस.एस. डब्ल्यू. व 6 एस.एस.डब्ल्यू. की 2.665 है0 मय गैर मुमकिन भूमि बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया परन्तु विवादग्रस्त भूमि रेस्पो0 नं0 1 व अपीलाण्ट को बंटवारानामा अनुसार प्राप्त होना मानकर रेस्पो0 नं0 1 ने वाद डिक्री करने का कथन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा को अनदेखा करेक निर्णय पारित किया है जो कबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 नं0 2 द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव पर अपीलाण्ट द्वारा उठाई गई आपत्ति प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को बिना जांच किये व बिना कोई गैर किये केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जवाब प्रार्थना–पत्र पर एवं राजनैतिक दबाव व विभाजन प्रस्ताव को उचित मानकर निर्णय पारि कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों एवं जवाब दावा में वर्णित बंटववारा नामा अनुसार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि को बिना जांच किए केवल मात्र मनमाने रूप से एक विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की है। राजनैतिक दबाव एवं रेस्पो0 नं0 1 को उचित लाभ देने के उद्देश्य से निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद में दिनांक 15.05.2012 को प्राथमिक डिक्री पारित की व अन्तिम डिक्री दिनांक 1903.2013 को पारित की प्राथमिक डिक्री में तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ से अच्छी मंदी व बंटववारा अनुसार रास्ता खाला को ध्यान में रखते हुए हक हिस्सा अनुससार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये परन्तु रेस्पो0 नं0 2 ने कभी भी मौका पर मौका पर नहीं गया व पटवारी हल्का झाम्बर ने बिना मौका पर जाये व बिना पक्षकारों को सूचित किए व मनमाने से तहसील कार्यालय में प्रस्ताव तैयार करके भेज दिये हैं विभाजन हेतु नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की कोई पालना नहीं की है। रेस्पो0 को फायदा देने के उद्देश्य से विभाजन प्रस्ताव तैयार करके भेजे गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अपीलाण्ट के उसके अभिभाषक द्वारा यह राय कभी भी नहीं दी गई कि प्राथमिक डिक्री की अपील की जानी चाहिए। इसलिए पूर्व में अपीलाण्ट ने उक्त निर्णय की कोई अपील नही की व अपीलाण्ट ने बाद में अन्य अभिभाषक से इस संबंध में राय ली तो उन्होंने कहा कि इस निर्णय की अपील पेश करनी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी ने आज दिनांक 06.01.2014 को नकल प्राप्त करके आज ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अभिभाषक की गलती के कारण पक्षकार को दण्डित नही किया जा सकता। इसलिए विधिक राय के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 हनुमानगढ के समक्ष राजीनामा को निरस्त करवाने हेतु वाद सं0 33/2017 हनुमान बनाम अमीचन्द प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने बंटवारानामा दिनांक 13.05.2006 को विधि सम्मत माना गया है। बंटवारानामा समस्त सम्पति के सम्बन्ध में था। माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए राजस्व न्यायालय बाध्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनों अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2001 III पेज 1502, आरआरटी 2011-12 सुप पेज 698, आरआरटी 2016 I पेज 87 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटीएक्ट का पेश किया। वादपत्र में कथन कियाकि वादी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम से संयुक्त खाता में चक 6 एसएसडब्ल्यू खाता सं0 138/126 प. नं. 161/287 मु. नं. 64 किला नं. 13, 15, 17, 18 कुल 1.012 है0 तथा चक नं. 4 एसएसडब्ल्यू खाता संख्या 79/77 प. नं. 166/291 मु. नं. 23 किला नं. 3, 4, 6, 7, 8, 12 ता 19, 22, 23, 24, ,25 कुल 4.301 है0 दोनों चकों की 5.313 है0 भूमि मय गैरमुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी का निस्फ हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का निस्फ हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य घरू बंटवारा होना बताया, जिसमें वे वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित अनुसार भूमि पर काबिज हैं। वादी/रेस्पो0 सं0 1 ने मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त मुताबिक दफा–2 अर्जीदावा वादी का खाता तकसीम कर अलग से कायम करने और इसी अनुसार रकम राज भी अलग कायम करने एवं प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था जो स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया था। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ आने पर आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दिनांक 15.05.2012 को प्राथमिक डिक्री किया गया था और अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री की अपील दिनांक 06.01.2014 को प्रस्तुत की है। जो लगभग डेढ वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का कारण उचित कारण नहीं बताया है। सिविल कोर्ट द्वारा बंटवारा को विधि सम्मत मानने का तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है सिविल कोर्ट के निर्णय दिनांक 04.05.2018 के के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर में एसबी सिविल फर्स्ट अपील नं. 399/2018 पेश की गई है। अतः माननीय माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 04.05.2018 अंतिम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। उभयपक्षों के मध्य राजीनामा बाबत सिविल कोर्ट में जो वाद हुआ है उसमें कृषि भूमि को शामिल नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने करा कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

10. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.05.2013 के साथ प्रस्तुत बंटवारानामा (पारिवारिक समझौता) दिनांक 13.05.2006 की प्रति नोटेरी द्वारा अटेस्टेड कोपी होने के कारण एवं निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत इसे अभिलेख पर लिया जाता है। अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.01.2019 के साथ प्रस्तुत माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ के दीवानी वाद संख्या 33 / 2017 हनुमान बनाम अमीचन्द में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 की फोटो प्रतिप्रस्तुत की गई थी बाद में अपील में बहस के समय प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। निर्णय की प्रामाणित प्रति होने के कारण एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है उक्त दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। वाद में दिनांक 15.05.2012 को प्राथमिक डिक्री किया गया है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज भूमि के खाता विभाजन के प्रस्ताव राजस्व मण्डल राजस्थान के नियमों की पालना करते हुए विभाजन हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को अधिकृत किया करते हुए तहसीलदार हनुमानगढ का मौका पर जाकर हक हिस्सा अनुसार खाता विभाजन के प्रस्ताव मय मानचित्र के भिजवाने के आदेश दिये गये हैं। **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा संलग्न है जिसमें स्वयं तहसीलदार के हसताक्षर है इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार कभी भी मौका पर नहीं गया व पटवारी हल्का झाम्बर ने बिना मौका पर जाये व बिना पक्षकारों को सूचित किए व मनमाने से तहसील कार्यालय में प्रस्ताव तैयार करके भेज दिये हैं विभाजन हेतु नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 की कोई पालना नहीं की है। रेस्पो0 को फायदा देने के उद्देश्य से विभाजन प्रस्ताव तैयार करके भेजे गये हैं।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

12. अपीलाण्ट का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव पर उसकी आपत्तियों में अंति तथ्यों को बिना जांच किये व बिना कोई गौर किए केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जवाब प्रार्थना पत्र पर विभाजन प्रस्ताव को उचित मानकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलाण्ट के उक्त तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायलाय के निर्णय में अपीलाण्ट ने यह आपत्ति की थी ''प्रस्ताव तैयार करते समय पटवारी ने खाला व रास्ता को ध्यान में न रखते हुए सही जांच कर तैयार नहीं किया है बल्कि वादी का पुत्र राजकीय सेवा में टी.ओ. पद पर हनुमानगढ में कार्यरत होने के कारण पटववारी हल्का व तहसीलदार पर दबाब बनाकर प्रस्ताव कार्यालय में तैयार कर भिजवाये हैं विभाजन प्रस्ताव पुनः पटवारी हल्का व तहसीलदार हनुमानगढ स्वयं को मौके पर जाकर सही विभाजन प्रस्ताव तेयार कर प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करें।'' जिसमें अधीनस्थ न्यायलाय ने यह माना है कि ''प. नं. 166/291 कि0 नं0 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 को इसी पत्थर नम्बर की भूमि विभाजन से प्राप्त हो रही है। उक्त रास्ता वादी व प्रतिवादी सं0 1 की सुविधा के लिए पूर्व से ही मौजूद है तथा विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बराबर भूमि प्राप्त हो रही है।'' इसलिए अपीलाण्ट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर उसकी आपत्तियों में अंति तथ्यों को बिना जांच किये व बिना कोई गौर किए केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जवाब प्रार्थना पत्र पर विभाजन प्रस्ताव को उचित मानकर निर्णय पारित कर दिया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

13. अपीलाण्ट का अपील की बहस में यह भी आधार लिया है कि प्रश्नगत राजीनामा को माननीय सिविल न्यायायल द्वारा विधि सम्मत होना माना गया है। यह राजीनामा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 की समस्त भूमि के संदर्भ में था। लेकिन **इस न्यायायल के विनम्र मतानुसार सिविल कोर्ट द्वारा बंटवारा निर्णय दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी सिविल फर्स्ट अपील न. 399/2018 विचाराधीन है। अतः माननीय माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 हनुमानगढ का का निर्णय दिनांक 04.05.2018 अंतिम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है। उभयपक्षों के मध्य राजीनामा बाबत सिविल कोर्ट में जो वाद हुआ है उसमें कृषि भूमि को शामिल नहीं किया गया है और कृषि भूमि के संदर्भ में राजस्व न्यायालयों को निर्णय करने की अधिकारिता है।** उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए अपीलाण्ट की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

दोनों अपीलों में हम ऐसा कोई तथ्य नहीं पाते हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जा सके। अतः दोनों अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के दोनों अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2012 एव 19.03.2013 यथावत रखे जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

15. निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम डूडी आर0ए0एस0

(1) अपील संख्या (17/2014) 223 आरटीएक्ट
अमीचन्द पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर हाल सनसिटी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध प्राथमिक डक्री दिनांक 15.05.2012 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र. सं. 71/09 बअनवानी हनुमानसिंह बनाम अमीचंद आदि

(2) अपील संख्या 2013/00170 (83/2013) 223 आरटीएक्ट
अमीचन्द पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ।
–अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमानसिंह पुत्र श्री गिरधारी जाति जाट साकिन झाम्बर हाल सनसिटी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.03.2013 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी प्र. सं. 71/09 बअनवानी हनुमानसिंह बनाम अमीचंद आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के दोनों अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.05.2012 एव 19.03.2013 यथावत रखे जाते हैं ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.01.2020 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.03 13:08:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: